इलेक्शन टुडे
==
दिनांक - 22 अक्टूबर 2018 अंक – 14
==

विधानसभा आम चुनाव -2018

टोल फ्री नम्बर 1950 पर 24 घण्टे हो रही है सुनवाई

भोपाल : सोमवार, 22 अक्टूबर, 2018। विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत शिकायतों के निराकरण के लिये प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य स्तर पर संचालित कॉल सेंटर का टोल फ्री नम्बर 1950 पर लगातार 24 घण्टे काम हो रहा है। प्राप्त शिकायतों को नेशनल ग्रेवियेंस सर्विसेज पोर्टल पर भी दर्ज किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में कांटेक्ट सेन्टर के माध्यम से प्रति दिन मॉनीटरिंग की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो रही शिकायतों को भी डिजिटाइज कर समय-सीमा में उनका निराकरण किया जा रहा है।

राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही शिकायतों के संधारण हेतु प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट का अलग से मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके माध्यम से समस्त राजनैतिक दलों द्वारा की गई सभी प्रकार की शिकायतों के निराकरण की स्थिति उनके द्वारा वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

म.प्र. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कुल 781 शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें से 507 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

==

मध्यप्रदेश आम चुनाव-2018

थानों में जमा कराये गये 1 लाख 90 हजार 621 शस्त्र

भोपाल : सोमवार, 22 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2018 तक प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिये 13 हजार 557 गैर जमानती वारंट तामील कराये गये है और 1294 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं। इसी दौरान 1 लाख 90 हजार 621 शस्त्र थानों में जमा कराये गये है। साथ ही, 37 हजार 34 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 11 लाख 94 हजार 922 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, जिनमें से 11 लाख 59 हजार 758 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 9 लाख 50 हजार 988 प्रकरण पंजीबद्ध कर 9 लाख 33 हजार 265 प्रकरणों में कार्यावाही की गई। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 2 लाख 43 हजार 934 प्रकरण पंजीबद्ध कर 2 लाख 26 हजार 493 प्रकरणों में कार्यावाही की गई। इसी दौरान वाहनों के दुरूपयोग पर 5 हजार 463 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

निजी विमान और हेलीकॉप्टर से आने वाले व्यक्तियों की विशेष जाँच की जाए- श्री कान्ता राव

भोपाल : सोमवार, 22 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने कहा कि एयरपोर्ट पर निजी विमानों और हेलीकॉप्टर के यात्रियों के सामान की विशेष जांच की जाए। कमर्शियल फ्लाईट और निजी विमान से आने वाले यात्रियों के सामान की भी जांच हो और 10 लाख रूपये की नगदी, एक किलो सोना और हीरा-जवाहरात के साथ यात्रा करने पर तुरन्त जांच कर इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाए।

श्री कांता राव ने निगरानी एवं निर्वाचन व्यय की समीक्षा बैठक में कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मतदान कराने के लिये प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही निरन्तर जारी रहे। मतदाता को प्रभावित करने वाली सभी अवैध गतिविधियाँ बन्द होनी चाहिये। जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें छापामार कार्यवाही करती रहें।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग की प्रभावी कार्यवाही के लिये केन्द्रीय वित्त और गृह मंत्रालय को मध्यप्रदेश में अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा गया है।

श्री कान्ता राव ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर विशेष निगाह रखी जाये। शराब, ड्रग्स, नगदी के परिवहन और भण्डारण की चौकसी कर छापे मार कार्यवाही की जाए। किसी भी जिले से दूसरे जिले में किसी भी प्रकार से नगदी, शराब, सामग्री और वस्तुओं का अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए।

समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद से अभी तक परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही कर 4 करोड़ रूपये के चालान बनाये गये। प्रदेश में 6 से 21 अक्टूबर तक पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा 50 हजार लीटर से अधिक (मूल्य 1 करोड़ रूपये से अधिक) की शराब जब्त कर 9 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। केन्द्र और राज्य नारकोटिक्स विभाग द्वारा 4 किलो अफीम और 175 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। पुलिस विभाग द्वारा 5 करोड़ की लागत का गांजा, स्मेक, ब्राउन शुगर जब्त की गई है। आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद से प्रदेश में आयकर विभाग द्वारा 14 लाख रूपये की राशि सीज की गई है। पुलिस और आयकर विभाग ने 2 करोड़ 80 लाख से अधिक का नगद और सामान जब्त कर 28 प्रकरण दर्ज किये हैं।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कोल, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश श्रीवास्तव तथा पुलिस, जीएसटी, आबकारी, नारकोटिक्स, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक, एयरपोर्ट अथोरिटी, सीआईएसएफ, परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

==

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
mpinfo.org | dprmp.org | mpnewsarch.org
Follow us: /jansampark.madhyapradesh @jansamparkMP jansamparkMP